



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकड़ा

दिनांक 25/01/2025

थाना खेकड़ा पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते समय 05 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 52 ताश के पत्ते व 1190 रुपये नगद बरामद ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं सार्वजनिक स्थान पर जुआ/सट्टा खेलने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते समय 05 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 52 ताश के पत्ते व 1190 रुपये नगद बरामद हुए हैं।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकड़ा पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

### गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. शाहिद उर्फ बिल्ली पुत्र सलीमुद्दीन निवासी मौ0 शेखपुरा कस्बा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
2. नसीम पुत्र शौकीन निवासी मौ0 भट्टा बस्ती कस्बा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
3. चाँद उर्फ गोला पुत्र कल्लू निवासी बाड़ियान मस्जिद के पास मौ0 शेखपुरा कस्बा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
4. नाजिम पुत्र शौकीन निवासी जगपाल डॉक्टर वाली गली पट्टी औरंगाबाद कस्बा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
5. राशिद पुत्र बल्लू निवासी भरतू वाली गली भट्टा बस्ती कस्बा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

## बरामदगी का विवरण-

- 52 ताश के पत्ते ।
- 1190 रूपये नगद ।

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उ0नि0 विकास कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 2.उ0नि0 अबरार हुसैन थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 3.उ0नि0 श्रीपाल सिंह थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 4.है0का0 53 रविन्द्र कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 5.का0 24 तरुण कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 6.का0 555 रवि चौधरी थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 7.का0 535 अतुल कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना चाँदीनगर

दिनांक 25.01.25

थाना चाँदीनगर पुलिस ने चैकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार,  
जिनके कब्जे से 02 अवैध चाकू बरामद ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चाँदीनगर पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 02 अवैध चाकू बरामद हुए हैं।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना चाँदीनगर पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-सूरज पुत्र धनपाल निवासी पट्टी गदड़ा ग्राम ढिकौली थाना चाँदीनगर जनपद बागपत ।
- 2-मुन्दर उर्फ अंकुर पुत्र राजवीर निवासी ग्राम ढिकौली थाना चाँदीनगर जनपद बागपत।

### गिरफ्तार अभियुक्त सूरज का आपराधिक इतिहास-

- 1.मु0अ0सं0 171/23 धारा 307 भादवि 3/25/27 आर्मस एक्ट थाना चाँदीनगर जनपद बागपत ।
2. मु0अ0सं0 16/25 धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना चाँदीनगर जनपद बागपत ।

### गिरफ्तार अभियुक्त मुन्दर उर्फ अंकुर का आपराधिक इतिहास-



1. मु0अ0सं0 17/21 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
2. मु0अ0सं0 81/17 धारा 147/323 थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
3. मु0अ0सं0 87/22 धारा 323/34/377/506 भादवि व ¾ पोस्को एक्ट थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
4. मु0अ0सं0 118/20 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना बागपत जनपद बागपत ।
5. मु0अ0सं0 557/19 धारा 147/148/149/307 भादवि थाना बागपत जनपद बागपत
6. मु0अ0सं0 603/19 धारा 307 भादवि थाना बागपत जनपद बागपत
7. मु0अ0सं0 660/19 धारा 414 भादवि थाना बागपत जनपद बागपत
8. मु0अ0सं0 17/2025 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट, थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।

### बरामदगी का विवरण-

- 02 अवैध चाकू बरामद ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री अमर सिंह थाना चांदीनगर जनपद बागपत
- 2-उ0नि0 श्री सुशील कुमार थाना चांदीनगर जनपद बागपत
- 3-का0 1065 आलोक कुमार थाना चांदीनगर जनपद बागपत



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना चांदीनगर

दिनांक 25.01.2025

थाना चांदीनगर पुलिस ने चैकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुए हैं।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना चांदीनगर पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. सदाकत पुत्र अशफाक निवासी ग्राम सलावतपुर खेडी थाना खेकडा जनपद बागपत ।
2. निशान्त पुत्र कृष्णपाल निवासी खड्वाप्रहलादपुर थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।

### बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री शिवकुमार थाना चांदीनगर जनपद बागपत
2. उ0नि0 श्री राहत जान थाना चांदीनगर जनपद बागपत
3. का0 912 सूरज सिकरवार थाना चांदीनगर जनपद बागपत



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना दोघट

दिनांक 25.01.2025

थाना दोघट पुलिस व फील्ड यूनिट की संयुक्त टीम ने थाने थाने के मु0अ0सं0 19/2025 धारा 103(1) बीएनएस से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से आलाकत्ल एक कैची बरामद ।

### संक्षिप्त विवरण -

दिनांक 24.01.2025 को थाना दोघट पर वादिया ने लिखित तहरीर दी कि वादिया का बेटा अफजल उम्र करीब 07 वर्ष कहीं लापता हो गया है जो नहीं मिल रहा है। इस में सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना दोघट पर मु0अ0सं0 19/2025 धारा 140(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।



उपरोक्त अभियोग की विवेचना

के दौरान प्राप्त साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त सावेज पुत्र इस्लामू की निशादेही पर मृतक बच्चे का शव बरामद किया गया । अभियोग की धारा 140(3) बीएनएस से धारा 103(1) बीएनएस में तरमीम की गई ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस एवं फील्ड यूनिट की संयुक्त टीम द्वारा थाने के मु0अ0सं0 19/2025 धारा 103(1) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से आलाकत्ल एक कैची बरामद हुई है।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना दोघट पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सावेज पुत्र इस्लामू निवासी कस्बा व थाना दोघट जनपद बागपत ।

### पूछताछ का विवरण-


गिरफ्तार अभियुक्त सावेज ने बताया कि लगभग 02 साल पहले मेरी माँ तथा पिता मृतक अफजल के माता-पिता से झगडा हो गया था, उसके बाद आपस में दोनों परिवार बात करने लगे व आना-जाना करने लगे। लेकिन मेरे माँ तथा मेरे पिता मुझको प्यार नहीं करते थे मुझसे ज्यादा अफजल को ही प्यार करते थे जब भी मैं अफजल व अपने घर मे रहता था तो कोई मुझसे बात नहीं करता था, इसी के चलते दिनांक 23.01.2025 को सुबह 09.00 बजे मैं पैदल-पैदल अफजल को अपने साथ गोपी के भट्टे के पास एक गन्ने के खेत में ले गया और उसके गले पर कैंची मारकर उसकी हत्या कर दी और शव वहीं फेक दिया ।

### बरामदगी का विवरण-

- आलाकत्ल एक कैंची ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-थाना प्रभारी निरीक्षक बच्चू सिंह थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 2-व0उ0नि0 श्री कृपेन्द्र सिंह थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 3-उ0नि0 श्री रजत ढाका थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 4-उ0नि0 श्री विपिन कुमार गौतम थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 5-उ0नि0 श्री तेजवीर सिंह थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 6-उ0नि0यूटी मोहित चौहान थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 7-है0का0 607 सुरेन्द्र सिंह थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 8-का0 951 पिताम्बर थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 9-का0 99 राकेश कुमार थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 10-का0 660 प्रवेश फील्ड यूनिट बागपत ।
- 11-का0 148 शिवसुन्दर फील्ड यूनिट बागपत ।





प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 25.01.2025

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 977/24 धारा 191(2)/191(3)/190/333/131/115(2)/352/351(2)/117(2)/109 बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

### संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 26.11.24 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी नरेन्द्र पुत्र प्रेम सिंह निवासी ग्राम सन्तोषपुर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1.राहुल पुत्र जिराज, 2.अमित पुत्र जयपाल, 3.विनय उर्फ बिच्छू पुत्र सौराज, 4.रविन्द्र पुत्र बाबू, 5.प्रिंस पुत्र बलराज व 6.विपिन उर्फ गोधू पुत्र इन्द्रराज समस्त निवासीगण ग्राम सन्तोषपुर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत द्वारा एकजुट होकर हाथो मे लाठी-डंडे, सरिया व लोहे के पाइप



लेकर वादी के घर में घुसकर वादी व वादी के परिजनों के साथ गाली-गलौच करते हुए मारपीट की जिससे वादी की माता का हाथ टूट गया तथा बिजेन्द्र के सिर में गम्भीर चोट लग गई । इस सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 977/24 धारा 191(2)/191(3)/190/333/131/115(2)/352/351(2)/ 117(2)/109 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

**नोट-** उपरोक्त अभियोग में थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा दिनांक 21.01.2025 को 02 अभियुक्तगण 1-विपिन उर्फ गोधू व 2-विनय उर्फ बिच्छू को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के म0अ0सं0 977/24 धारा 191(2)/191(3)/190/333/131/115(2)/352/351(2) /117(2)/109 बीएनएस में वांछित नामजद 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-**

राहुल पुत्र जिराज निवासी ग्राम सन्तोषपुर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

**गिरफ्तारी करने वाली टीम-**

1-उ0नि0 श्री वृक्षपाल सिंह थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

2-है0का0 168 गौरीशंकर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।



**प्रेस नोट**

**थाना कोतवाली बागपत**

**दिनांक 25-01-2025**

**थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।**

**कार्यवाही-**

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



**गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त का नाम व पता-**

मनोज पत्र अजब सिंह निवासी ग्राम कांठा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ०नि० श्री आरिफ अली थाना कोतवाली बागपत

2-का० 1130 सोनू तेवतिया थाना कोतवाली बागपत



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बिनौली

दिनांक 25.01.2025

थाना बिनौली पुलिस ने थाने के मु०अ०सं० 301/2024 धारा 137(2)/64(1) BNS व 3/4 पोक्सो एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा थाने के मु०अ०सं० 301/2024 धारा 137(2)/64(1) BNS व 3/4 पोक्सो एक्ट में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



नोट- उपरोक्त अभियोग से सम्बन्धित अपहृता को थाना बिनौली पुलिस द्वारा दिनांक 10-01-2025 को बरामद किया जा चुका है।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. विपिन पुत्र जसवन्त सिंह निवासी ग्राम गढीदुल्ला थाना बिनौली जनपद बागपत

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

- 1-उ0नि0 श्री शिव सिंह मीणा थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 2- है0का0 399 वीरपाल सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत ।

